राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–381 / 2007 / दौसा
अपील संख्या–382 / 2007 / दौसा

सहायक आयुक्त,
वाणिज्यिक कर,
वृत–दौसा ...अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स राजू गुर्जर पुत्र श्री रामजीलाल,
बास टीकायत, ग्राम सोडाला,
तहसील बसवा, जिला दौसा ...प्रत्यर्थी

क्रॉस ऑब्जेक्शन संख्या–875 / 2007 / दौसा
क्रॉस ऑब्जेक्शन संख्या–876 / 2007 / दौसा

मैसर्स राजू गुर्जर पुत्र श्री रामजीलाल,
बास टीकायत, ग्राम सोडाला,
तहसील बसवा, जिला दौसा ...अपीलार्थी

बनाम

सहायक आयुक्त,
वाणिज्यिक कर,
वृत–दौसा ...प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य
श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित : :
श्री रामकरण सिंह
उप राजकीय अभिभाषक ....अपीलार्थी की ओर से
श्री विवेक सिंघल
अभिभाषक ....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 12.01.2018

निर्णय

1. उपरोक्त दोनों अपीलें राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स) चतुर्थ, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 136 / आरएसटी / अपील्स–चतुर्थ / 05–06 / दौसा एवं 135 / आरएसटी / अपील्स–चतुर्थ / 05–06 / दौसा में पारित पृथक–पृथक आदेश दिनांक 04.05.2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। उपायुक्त (अपील्स) के उक्त आदेशों के विरूद्व प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा भी प्रत्याक्षेप (क्रॉस ऑब्जेक्शन्स) प्रस्तुत किये गये हैं। यह आदेश माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बैंच द्वारा एस.बी.सेल्स टैक्स रिवीजन नं. 154 / 2010 से 157 / 2010 में पारित निर्णय दिनांक 20.01.2017 के अनुसार रिमाण्ड आदेशों की अनुपालना में पारित किया जा रहा है।

लगातार.....2

2. उपरोक्त दोनों अपीलों एवं प्रत्याक्षेप (क्रॉस ऑब्जेक्शन्स) के पक्षकार, तथ्य एवं विवाद बिन्दु समान होने से चारों प्रकरणों का निस्तारण एक निर्णय से ही किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जावे।

3. प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी मैसर्स राजू गुर्जर को दिनांक 14.05.2005 से 13.05.2006 तक की अवधि के लिये जिला दौसा तहसील बसवा के सांवा नदी के ग्राम चान्देरा से रलावता के मध्य के क्षेत्र से निकलने वाली बजरी के कर संग्रह का ठेका राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **"अधिनियम 1994"** कहा जायेगा) की धारा 79 के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया था। प्रत्यर्थी व्यवहारी को स्वीकृत उक्त बजरी ठेका की अवधि के दौरान यह शिकायत प्राप्त हुई कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा ठेके की शर्तो के अनुसार निर्धारित बिक्री कर की दर 6/– प्रति टन अथवा रू 120/– प्रति ट्रक एवं ट्रेक्टर ट्रॉली से ट्रक की दर से आधी राशि अर्थात् 60/– रू प्रति ट्रेक्टर ट्रॉली एवं टर्बो ट्रक/ट्रोला के लिये ट्रक की दर से दुगुनी राशि अर्थात् 240/– प्रति ट्रोला से अधिक दरों पर बिक्री कर की वाहन चालकों से वसूली की जा रही है, विशेष रूप से ट्रक चालकों से रू 240/– प्रति ट्रक बिक्री कर के रूप में वसूल किये जा रहे हैं तथा ठेकेदार द्वारा फर्जी रसीद बुकें छपवाकर लोगों से अवैध रूप से कर की वसूली करके फर्जी रसीदें दी जा रही हैं। इस शिकायत पत्र के साथ प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से की जा ही अधिक व अवैध बिक्री कर वसूली के प्रथम दृष्टया प्रमाण स्वरूप जारी की गई रसीदों की प्रतियां भी संलग्न की गई। अपील प्रकरण संख्या 381/2007 में शिकायत प्रार्थना पत्र के संलग्न बिक्री कर वसूली की 21 रसीदों का कार्यालय रेकार्ड से सत्यापन करने एवं ठेकेदार द्वारा जारी की गई रसीदों की दिनांक 20.12.2005 से 24.12.2005 की अवधि में मौके पर की गई जांच तथा सम्बन्धित वाहन चालकों के बयानों के आधार पर सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, दौसा (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा गया है) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी को अधिनियम की धारा 79 के तहत विस्तृत नोटिस दिनांक 26.12.2005 जारी किया जाकर सुनवाई हेतु दिनांक 03.01.2006 निश्चित की गई। उक्त नोटिस का प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा दिनांक 03.01.2006 को स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत किये गये जवाब में अनुबंध पत्र एवं रसीदों की फोटो प्रति तथा मूल रसीदों को दिखाने का अनुरोध करने पर दिनांक 09.01.2006 को व्यवहारी को अनुबंध की प्रति उपलब्ध करवाई गई तथा व्यवहारी के जवाब हेतु समय चाहने पर सुनवाई हेतु दिनांक 13.01.2006 निश्चित की गई। तत्पश्चात कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी की उपस्थिति में प्रकरण में शिकायत की जांच से सम्बन्धित 21 रसीदों की 15 रसीद बुकों से अवैध बिक्री कर की वसूली करना मानते हुए अधिनियम की धारा 79 के तहत दिनांक 13.01.2006 का आदेश परित करते हुए 21 रसीदों की सभी रसीद

लगातार.....3

बुकों की समस्त रसीदों के आधार पर करापवंचित कर राशि रू 4,00,300/–, कर की दुगुनी शास्ति रू 8,00,600/– एवं ब्याज रू 4,320/–, 18,258/– व 2,160/– कुल रू 12,25,638/– का आरोपण किया गया।

4. इसी प्रकार अपील संख्या 382/2007 के प्रकरण में उपायुक्त (प्रशासन) के शिकायत पत्र दिनांक 30.12.2005 के साथ प्राप्त 8 मूल रसीदों की जांच के बाद कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी को अधिनियम की धारा 79 के तहत विस्तृत नोटिस दिनांक 12.01.2006 जारी किया जाकर सुनवाई हेतु दिनांक 20.01.2006 निश्चित की गई। तत्पश्चात कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की उपस्थिति में शिकायत से सम्बन्धित 6 रसीदों की 5 रसीद बुकों से अवैध बिक्री कर की वूसली करना मानते हुए अधिनियम की धारा 79 के तहत दिनांक 24.01.2006 को कर निर्धारण आदेश पारित करते हुए 6 रसीदों के आधार पर इनसे सम्बन्धित 5 बुकों की सभी रसीदों से करापवंचित कर राशि रू 1,20,000/–, कर की दुगुनी शास्ति रू 2,40,000/– एवं ब्याज रू 9,000/–, कुल रू 3,69,000/– का आरोपण किया गया।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेशों को उपायुक्त (अपील्स), चतुर्थ, वाणिज्यिक कर जयपुर के समक्ष चुनौती दिये जाने पर उपायुक्त (अपील्स) द्वारा पारित पृथक–पृथक आदेश दिनांक 04.05.2006 से अपीलें स्वीकार की जाकर दोनों प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये गये कि व्यवहारी को जांच से सम्बन्धित समस्त दस्तावेजों की प्रतियां प्रत्यर्थी को उपलब्ध करवाई जावें एवं प्रत्यर्थी को प्रस्तुत दस्तावेजों एवं शिकायत के साथ प्राप्त रसीदों के क्रॉस एग्जामिनेशन एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से कर निर्धारण आदेश पारित किया जावे।

6. उपायुक्त (अपील्स) के उक्त आदेशों से व्यथित होकर कर बोर्ड के समक्ष उपरोक्त दोनों अपीलें राजस्व द्वारा प्रस्तुत की गई एवं प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रत्याक्षेप (क्रॉस ऑब्जेक्शन्स) प्रस्तुत किये गये। माननीय कर बोर्ड ने अपने संयुक्त निर्णय दिनांक 18.09.2009 द्वारा राजस्व की ओर से प्रस्तुत अपीलें स्वीकार करते हुये अपीलीय अधिकारी के आदेश निरस्त किये तथा कर निर्धारण अधिकारी के आदेश यथावत रखे।

7. माननीय कर बोर्ड के उपरोक्त संयुक्त आदेश दिनांक 18.09.2009 के विरूद्व व्यवहारी द्वारा एस.बी.सेल्स टैक्स रिवीजन नं. 154/2010 से 157/2010 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय बैंच जयपुर में प्रस्तुत की गई, जिनमें संयुक्त आदेश दिनांक 20.01.2017 द्वारा प्रकरणों को राजस्थान कर बोर्ड को प्रतिप्रेषित किये जाकर यह निर्देश दिये गये कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जिन साक्ष्यों/दस्तावेजों के आधार पर कर

लगातार.....4

निर्धारण किया है उन साक्ष्यों/दस्तावेजों की प्रतियां व्यवहारी को उपलब्ध किया जाकर व्यवहारी को जवाब का अवसर दिया जाकर उभयपक्ष को सुनकर पुनः निर्णय तीन माह में पारित करें तथा निर्णय की प्रति माननीय उच्च न्यायालय को भी भिजवायी जावे।

8. माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में व्यवसायी श्री राजू गुर्जर को दिनांक 05.010.2017 को उपलब्ध साक्ष्यों/दस्तावेजों से सम्बन्धित रिकार्ड उपलब्ध करवाया गया।

9. व्यवसायी की ओर से दिनांक 15.11.2017 को जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया।

10. बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

11. विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उपायुक्त (प्रशासन), वाणिज्यिक कर जयुपर से प्राप्त शिकायतों के साथ प्राप्त बिक्री कर वसूली की रसीदों एवं प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा इन्हीं रसीद संख्या एवं बुक संख्या से सम्बन्धित बिक्री कर वसूली की विभाग में जमा करवाई गई रसीदों का मिलान एवं जांच करने पर इन रसीदों की दिनांक, वाहन संख्या एवं राशि में पायी गई भिन्नता के आधार पर शिकायत प्रार्थना पत्र के साथ प्राप्त रसीदों को फर्जी मानते हुए इन फर्जी रसीद बुकों से वसूल की गई बिक्री कर की राशि का प्रथम दृष्टया करापवंचन मानते हुए प्रत्यर्थी व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के बाद विधिनुसार कर निर्धारण आदेश पारित किये गये थे। विद्वान उपायुक्त (अपील्स) द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के प्रत्यर्थी व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के बाद प्रत्यर्थी व्यवहारी के फर्जी रसीदों से बिक्री कर वसूल कर राजकोष में जमा नहीं किया जाकर प्रथम दृष्टया करापवंचन किये जाने के पत्रावली पर उपलब्ध सभी तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए दोनों प्रकरण पुनः नये सिरे से आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने में विधिक भूल की गई है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अधिवक्ता द्वारा राजस्व की अपीलें स्वीकार करने तथा उपायुक्त (अपील्स) का आदेश अपास्त किये जाने का निवेदन किया गया।

12. विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी व्यवसायी ने कथन किया कि प्रस्तुत दोनों प्रकरणों में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी के विरूद्व प्राप्त शिकायत से सम्बन्धित सभी रसीदों की प्रतियां उपलब्ध नहीं करवाई गई एवं जांच से सम्बन्धित दस्तावेजों एवं निष्कर्ष बाबत उसे प्रति–परीक्षण का अवसर प्रदान किये बिना ही एकतरफा कार्यवाही करते हुए कर, शास्ति व ब्याज अधिरोपण के आदेश पारित किये गये हैं। इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी को शिकायत में उल्लेखित फर्जी रसीदों अथवा बिक्री

लगातार.....5

कर की निर्धारित दर से अधिक वसूली सम्बन्धी रसीदों के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किये बगैर ही ऐसी रसीदों की सम्पूर्ण बुक की रसीदों से अवैध वसूली करना मानते हुए प्रकरणों में पारित किये गये कर निर्धारण आदेश अविधिक एवं अनुचित होने से अपास्त योग्य हैं। इन्होंने यह भी कथन किया कि गवाहों के बयान व्यवहारी के समक्ष नहीं करवाये गये हैं जिससे व्यवहारी को गवाहों के बयानो का प्रति–परीक्षण (Cross Examination) नहीं किया जा सका है जिससे कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष समस्त तथ्य स्पष्ट नहीं हुये है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा गवाहों का प्रति–परीक्षण (Cross Examination) किये बिना करारोपण विधिसम्मत नहीं है। इन्होंने अपने जवाब में भी गवाहों का प्रति–परीक्षण (Cross Examination) करवाने हेतु किया है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा राजस्व की दोनों अपीलें अस्वीकार करने एवं प्रत्यर्थी व्यवहारी के क्रॉस ऑब्जेक्शन्स को स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।

13. विद्वान उपराजकीय अभिभाषक एवं व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक दोनों ने संयुक्त रूप से कथन किया कि गवाहों का प्रति–परीक्षण आवश्यक होने के कारण प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाते है तो वे इस संबंध में सहमत है क्योंकि संबंधित पक्षकारों व गवाहों का दौसा क्षेत्र से अजमेर आना कठिन होने के कारण प्रति–परीक्षण कर निर्धारण अधिकारी के स्तर पर व्यवहारिक रूप से अधिक सुविधाजनक है व साथ ही कर निर्धारण अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर भी प्राप्त हो सकेगा।

14. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :–

15. अपील संख्या 381/2007 से सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 13.01.2006 के अनुसार जांच पर 21 रसीदें जो कि विभिन्न 15 रसीद बुकों से संबंधित थी, में निर्धारित कर राशि से दुगुनी राशि अवैध रूप से वसूल की गयी मानकर प्रत्येक रसीद की पूरी बुक की समस्त रसीदों (प्रत्येक बुक में 100 रसीदें) से अधिक कर वसूल किया हुआ मानते हुये करारोपण, शास्ति व ब्याज आरोपित किया है। पृष्ठ सं. 54 व 55 पर रसीद बुक्स की छाया प्रतियों व ठेकेदार द्वारा कार्यालय में जमा करवायी गयी प्रतियों में वसूल की गयी राशि में भिन्नता है। कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली के पृष्ठ सं 9 से 21, 23 से 25 पर उपलब्ध बजरी उपभोक्ताओं द्वारा दिये गये बयानों की फोटो प्रतियाँ है जिनमें इन्होंने निर्धारित दर के अनुसार राशि दिया जाना बताया है। पृष्ठ सं. 22, 27, 37, 42 पर उपलब्ध बयानों की फोटो प्रतियों के अनुसार अधिक राशि वसूली गई है। कर निर्धारण अधिकारी ने इन दस्तावेजों की प्रतियाँ व्यवहारी को उपलब्ध नहीं करवायी है व न ही गवाहों से जिरह का कोई अवसर प्रदान किया गया है। कारण

लगातार.....6

बताओ नोटिस में भी इस सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मौके पर जाकर लिये गये बयानों व दस्तावेजों के आधार पर तैयार की गई कोई रिपोर्ट भी पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी ने अनुमान के आधार पर करारोपण किया है।

16. अपील संख्या 382/2007 से सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 24.01.2006 के अनुसार जांच पर 8 रसीदें जो कि विभिन्न 5 रसीद बुकों से संबंधित थी, में निर्धारित कर राशि से दुगुनी राशि अवैध रूप से वसूल की गयी मानकर प्रत्येक रसीद की पूरी बुक की समस्त रसीदों (प्रत्येक बुक में 100 रसीदें) में अधिक कर वसूल किया हुआ मानते हुये करारोपण, शास्ति व ब्याज आरोपित किया है। कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली में 8 मूल रसीदें संलग्न है जिनके सम्बन्ध में व्यवहारी को नोटिस दिनांक 12.01.2006 को जारी किया गया है। व्यवहारी ने इस नोटिस के प्रत्युत्तर में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इन रसीदों के संबंध में कर निर्धारण अधिकारी ने न तो शिकायतकर्ताओ के बयान लिये है व न ही प्रति–परीक्षण करवाया है व न ही जांच से यह प्रमाणित किया है कि ये रसीदें व्यवहारी द्वारा जारी की गई है जिनमें अधिक कर वसूला गया हैं। इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी ने अनुमान के आधार पर करारोपण किया है।

17. विचाराधीन प्रकरणों में व्यवहारी के विरूद्व निर्धारित कर से अधिक कर वसूलने की शिकायत के आधार पर दो प्रकरण दर्ज हुये है। शिकायतकर्ताओं द्वारा दी गई रसीदे या उनकी फोटो प्रतियां भी पत्रावलियों में उपलब्ध है। तत्समय कुछ गवाहों के बयान भी दर्ज किये गये है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के रिमाण्ड आदेशों की पालना में व्यवहारी को पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों/साक्ष्यों की प्रतियां उपलब्ध करवा दी गई थी **जिसके प्रत्युत्तर में विद्वान अभिभाषक व्यवहारी ने गवाहों के प्रति–परीक्षण का बिन्दु उठाया है। प्रकरणो के तथ्यों एवं परिस्थितियों के संदर्भ में गवाहों का प्रति–परीक्षण आवश्यक है क्योंकि यह बिन्दु परीक्षण योग्य है कि व्यवहारी द्वारा ये विवादित रसीदें जारी की गई है या नहीं। यह बिन्दु गवाहों के बयानों एवं प्रति परीक्षण के आधार पर ही निर्धारित किया जा सकता है।** इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा प्रस्तुत प्रकरण से मिलते जुलते प्रकरण Mansingh Vs State of Rajashtan (2007) 8 VST 720 के निर्णय दिनांक 26.05.2006 में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

" It is also amply substantiated from record that alleged enquiry by the Assistant Commissioner was conducted without including contracotr in the enquiry and every material collected by the Assistant Commissioner at the back of contractor has been used against him without informing him about such material, and without giving him any opportunity to explain such adverse material. thus, the ordere is incomplete breach of the principles of natural justice.

लगातार.....7

In case statements are recorded of any person in his absence then copies of such statements must be furnished to the affected party and he must be allowed to cross-examine those witnesses, if so demanded. Apparently, all these safeguards have not been observed by the Deputy Commissioner while making the impugned order. Therefore, on this ground alone the order cannot be sustained. "

इस न्यायिक दृष्टांत के अनुसार व्यवहारी को गवाहों के प्रतिपरीक्षण का अवसर दिया जाना आवश्यक है।

18. प्रस्तुत प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत SB STR सं 154 से 157/2010 निर्णय दिनांक 20.01.2017 में निर्देशित किया है कि

" Without going into the merits of the matter any further, in my view it would be appropriate to restore the matter back to the Tax Borad who being the final fact finding authority is competent enough to provide copies of the material to the assesse who may be allowed to give explanation and thereafter the Tax Board can very well hear the counsel for the parties and redecide the matter afresh in accordance with law. "

माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्देशों की पालना में खण्डपीठ द्वारा प्रत्यर्थी को सम्बन्धित रिकॉर्ड की प्रतियाँ उपलब्ध करवाकर इसी स्तर पर जवाब के आधार पर निर्णय किये जाने का प्रयास किया गया परन्तु व्यवहारी द्वारा जवाब में गवाहों के प्रतिपरीक्षण का बिन्दु उठाया गया है तथा प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा Mansingh Vs State of Rajashtan (2007) 8 VST 720 में पारित निर्णय दिनांक 26.05.2006 में अवधारित सिद्धांत के सदंर्भ में गवाहों का प्रतिपरीक्षण आवश्यक है परन्तु यह कार्यवाही कर निर्धारण अधिकारी के स्तर पर पक्षकारों के दृष्टिकोण से अधिक सुविधाजनक है, जिसके लिये उभय पक्ष सहमत भी है। उपरोक्त तथ्यों के सदंर्भ में यह खण्डपीठ उचित समझती है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की अनुपालना हेतु प्रकरण प्रभावी न्याय निर्णयन हेतु कर निर्धारण प्राधिकारी को प्रतिप्रेषित कर दिया जाये। अतः अपीलें व क्रॉस आब्जेक्शन आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के अपीलाधीन निर्णय निरस्त किये जाकर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं :–

(i). यद्यपि कर बोर्ड द्वारा प्रत्यर्थी को दस्तावेज उपलब्ध करवा दिये गये हैं, तथापि उसके अलावा भी यदि कोई दस्तावेज, गवाहान के बयानात या उपलब्ध अन्य किसी अभिलेख की प्रति प्रत्यर्थी द्वारा चाही जाये, तो कर निर्धारण अधिकारी उसे उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेगा;

(ii). प्रत्यर्थी के विरूद्ध काम में लिये गये पक्षकारों के बयानात के सम्बन्ध में उनका प्रति परीक्षण (Cross Examination) नियमानुसार करवायेगा, तथा

लगातार.....8

(iii). समग्र तथ्यों के परिपेक्ष्य में नये सिरे से कर निर्धारण आदेश पारित करेगा।

(iv). कर निर्धारण अधिकारी को यह भी निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश की प्राप्ति के चार माह के भीतर समस्त कार्यवाही सम्पूरित कर विधिनुसार नये सिरे से आदेश पारित करते हुये निर्धारण आदेश की एक प्रति कर बोर्ड में अवलोकनार्थ भिजवाना सुनिश्चित करे।

(v). व्यवहारी को निर्देशित किया जाता है कि वे कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष दिनांक 19.02.2018 को उपस्थित हो।

(vi). उपायुक्त (प्रशासन) वाणिज्यिक कर, संभाग द्वितीय, जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आवश्यक कार्यवाही निर्देशित समय सीमा के भीतर आवश्यक रूप से सम्पूरित कर दी जावे। इस आदेश की एक प्रति उपायुक्त (प्रशासन) वाणिज्यिक कर, संभाग द्वितीय जयपुर को भी दी जावे।

(vii). रजिस्ट्रार कर बोर्ड, अजमेर को निर्देशित किया जाता है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बैंच द्वारा एस.बी.सेल्स टैक्स रिवीजन नं. 154/2010 से 157/2010 में पारित निर्णय दिनांक 20.01.2017 की अनुपालना में इस निर्णय की प्रति माननीय उच्च न्यायालय को सादर प्रेषित की जावे।

19. निर्णय सुनाया गया।

(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य

(नत्थूराम)
सदस्य